उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबंधन, अनुभाग-4

संख्या-51/2018/क0नि0-4-1128/11-2018-300(39)/18

लखनऊ, दिनांकः 10 अक्टूबर, 2018

शुद्धि-पत्र

वाणिज्य कर कार्यालय भवन, बाराबंकी में फायर अलार्म एवं फायर फाइटिंग का रिपेयर एवं रिनोवेशन का कार्य कराए जाने हेतु रू0-54.25 लाख (रूपया चौवन लाख पच्चीस हजार मात्र) तथा वाणिज्य कर कार्यालय भवन, बाराबंकी में स्थित शौचालयों की दीवारों की सीलन, टूटे हुए शीशे एवं प्लम्बरिंग का कार्य कराए जाने हेतु रू0-22.47 लाख (रूपया बाईस लाख सैंतालीस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0, बाराबंकी को किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश सं0-45/2018/क0नि0-4-1038/11-2018-300(39)/18, दिनांक 17.09.2018 द्वारा प्रदान की गई है, के प्रस्तर-1 की 9वीं लाइन में अंकित ''कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0, बाराबंकी'' के स्थान पर '' क्रमशः कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ व यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0, बाराबंकी'' पढ़ा जाए।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

अरविन्द कुमार
उप सचिव

संख्या-51/2018/क0नि0-4-1128(1)/11-2018, तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहबाद।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बाराबंकी।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
(6) एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
(7) अधीक्षण अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0, टी0सी0/46 अ, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(8) अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0, 10-ए, सिद्दीकी नगर, बाराबंकी।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in